

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 930/2022
अनवान : -

1. जगराम पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. बलवन्त सिंह पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. अमीलाल पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. कलावती पुत्री श्रीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
3. रजो पुत्री श्रीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
4. बिमला पुत्री श्रीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
5. मैना पुत्री श्रीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: -21/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स0 67/72 की कुल 7.2340 हैक्ट भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि श्रीराम पुत्र मनी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में श्रीराम पुत्र मनी के नाम दर्ज है जो की वादीगण का पिता है। श्रीराम पुत्र मनी का स्वर्गवास हो चुका है तथा की एक पुत्री कलावती का भी देहांत हो चुका है। श्रीराम पुत्र मनी के जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 है जो अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 6 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा गोरखाना सम्वत 2072-75 खाता सं० 67/72, मृत्यु प्रमाण श्रीराम व चित्रप्रति सदस्य प्रमाण पत्र पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में श्रीराम पुत्र मनी के नाम दर्ज है जो की वादीगण का पिता है। श्रीराम पुत्र मनी का स्वर्गवास हो चुका है तथा की एक पुत्री कलावती का भी देहांत हो चुका है। श्रीराम पुत्र मनी के जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 है जो अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता सं० 67/72 की कुल 7.2340 हैक्ट भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि श्रीराम पुत्र मनी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में श्रीराम पुत्र मनी के नाम दर्ज है जो की वादीगण का पिता है। श्रीराम पुत्र मनी का स्वर्गवास हो चुका है तथा की एक पुत्री कलावती का भी देहांत हो चुका है। श्रीराम पुत्र मनी के जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 है जो अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब काबिज है, वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर वादीगण के वाद को

al

अग्रज्य अधिकारी
नोहर

स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई ऐतराज नहीं है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान एवं चित्रप्रति सदस्य प्रमाण पत्र के अनुसार मृतक श्रीराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स0 67/72 की कुल 7.2340 हैक्ट भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि श्रीराम पुत्र मनी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक श्रीराम पुत्र मनी का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 1 तीनों को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 21/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

al
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 930/2022

अनवान : -

1. जगराम पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. बलवन्त सिंह पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. अमीलाल पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. कलावती पुत्री श्रीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
3. रजो पुत्री श्रीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
4. बिमला पुत्री श्रीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
5. मैना पुत्री श्रीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 930 सन 2022 निर्णय दिनांक - 21/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री मांगेराम गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स0 67/72 की कुल 7.2340 हैक्ट भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि श्रीराम पुत्र मनी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक श्रीराम पुत्र मनी का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 1 तीनों को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर